

20-06-2023
rcshm case
11/2021

प्रार्थी अनुपस्थित, कोई अधि. भी उप. नहीं।

प्रतिप्रार्थी पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रार्थी व उसके अधि. को बार-बार पुकार लगाने पर बाद प्रतीक्षा अनुपस्थित हैं। प्रकरण अंतरण पर प्राप्त होने के उपरांत से प्रार्थी उपस्थित नहीं हो रहा है, अंतरण होने के पूर्व प्रार्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो रहा था। प्रार्थी की अनुपस्थिति का अभिलेख पर कोई कारण दर्शित नहीं है। उसके द्वारा उपस्थित होकर एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी की अनुपस्थिति, एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं प्रकरण के संचालन के अभाव में यह प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी व सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण दाखिले अभिलेखागार किया जावे।

(निलेश यादव)

प्रथम जिला न्यायाधीश, देपालपुर
जिला-इंदौर (म.प्र.)